प्रश्न सं. [क्र. 1390]

प्रपत्र-'अ'

सदन में उत्तर देने का दिनांक 19.12.2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1390 माननीय विधायक श्री आतिफ आरिफ अकील

विद्युत दर प्रति यूनिट औसत वित्तीय वर्ष 2024-25

क्र.	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 73/2023 में जारी आदेश दिनांक 06 मार्च 2024 के अनुसार	
	उपभोक्ता श्रेणी	रू. प्रति यूनिट
1	घरेलू	6.71
2	गैर घरेलू	9.32
3	जल प्रदाय कार्य एवं पथ प्रकाश (निम्नदाब)	6.82
4	औद्योगिक (निम्नदाब)	8.98
5	कृषि एवं कृषि से संबद्ध कार्य (निम्नदाब)	6.13
6	ई-व्हीकल/ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (निम्नदाब)	6.90
7	रेल्वे कर्षण	5.17
8	कोल माइंस	8.58
9	औद्योगिक (उच्चदाब)	7.71
10	गैर औद्योगिक (उच्चदाब)	9.09
11	शॉपिंग मॉल	8.51
12	पावर इन्टेंशिव इण्डस्ट्रीज	5.68
13	मौसमी	8.43
14	सिंचाई, लोक जल प्रदाय एवं कृषि के अलावा अन्य (उच्चदाब)	7.84
15	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	7.67
16	ग्रिड से जुड़े जनरेटर के लिए बिजली का सिंक्रोनाइज़ेशन	11.14
17	ई-व्ही चार्जिंग स्टेशन (उच्चदाब)	6.90
18	मेट्रो रेल	8.45
	औसत विद्युत दर	**6.90**

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

N

प्रपत्र-'ब'

सदन में उत्तर देने का दिनांक 19.12.2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1390

माननीय विधायक श्री आतिफ आरिफ अकील

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में पावर एक्सचेंज के माध्यम से विक्रय की गई विद्युत की संपूर्ण जानकारी

पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत विक्रय			
माह	ऊर्जा मिलियन यूनिट में	औसत दर रूपये प्रति यूनिट	राशि करोड़ रूपये में
अप्रैल	527.92	4.86	256.70
मई	314.03	5.18	162.71
जून	397.13	5.04	200.14
जुलाई	127.67	4.44	56.67
अगस्त	363.01	3.81	138.30
सितम्बर	555.20	3.76	208.86
अक्टूबर	469.82	4.45	208.97
कुल	**2754.78**	**4.47**	**1232.34**

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

N

प्रपत्र-'स'

सदन में उत्तर देने का दिनांक 19.12.2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1390 माननीय विधायक श्री आतिफ आरिफ अकील

राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा खुदरा विद्युत दरों के निर्धारण की प्रक्रिया

पावर एक्सचेंज के माध्यम से वास्तविक समय में विक्रय की गई विद्युत थोक मात्रा में रहती है तथा इसमें अन्य चार्जेस समाहित नहीं होते हैं, जबकि खुदरा उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत स्वीकृत/संविदा मांग के आधार पर रहती है, जिसकी दरें राज्य नियामक आयोग द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत तय की जाती है। साथ ही खुदरा उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली विद्युत में विभिन्न चार्जेस यथा आर.एम. चार्जेस, स्थापना व्यय, ओ एण्ड एम चार्जेस एवं अन्य व्यय समाहित रहते हैं, जिसके कारण खुदरा विद्युत प्रदाय की दरें, पावर एक्सचेंज के माध्यम से विक्रय की गई दरों से अधिक प्रतीत होती है। प्रदेश में खुदरा विद्युत प्रदाय की दरों का निर्धारण म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की दरों के निर्धारण में विभिन्न घटकों यथा-विद्युत क्रय लागत, संचालन एवं संधारण व्यय, अवमूल्यन/अवक्षयण, परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा संबद्ध घटत-बढ़त, विदेशी विनियम दर परिवर्तन से संबद्ध घटत-बढ़त अथवा समायोजन की लागत, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) पर ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ, डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण एवं पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार, अन्य आय तथा प्रति राज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त घटकों पर आयोग द्वारा विर्निदिष्ट मापदंडों एवं विगत वर्षों के वास्तविक व्ययों के आधार पर आने वाले वर्ष के लिये अनुमानित गणना कर प्रत्येक वर्ष विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आयोग के समक्ष यांचिका दायर की जाती है, जिस पर नियामक आयोग द्वारा समस्त हितग्राहियों की आपत्ति पर विचार कर एवं सूक्ष्म परिक्षण कर आने वाले वर्ष के लिये विद्युत दरों का निर्धारण कर आदेश जारी किया जाता है। इसके साथ ही विगत वर्ष के वास्तविक व्ययों को सी.ए.जी. द्वारा ऑडिट किये गये वितरण कंपनियों के लेखों के आधार पर विगत वर्ष के दर निर्धारण आदेश का सत्यापन भी किया जाता है एवं दर निर्धारण आदेश में अनुमानित खर्चों के विरुद्ध वास्तविक तौर पर कम अथवा अधिक व्यय को समायोजित कर सत्यापन आदेश भी जारी किया जाता है। इस प्रकार की कम अथवा अधिक सत्यापन राशि को भी अगले दर निर्धारण आदेश मे सम्मिलित किया जाता है। वितीय वर्ष 2024-25 के लिये विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत क्रय का औसत मूल्य रु. 3.64 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। किसी टाइम ब्लॉक में मांग से अधिक यदि विद्युत का उत्पादन होता है एवं अतिशेष उत्पादित विद्युत एक्सचेंज में उचित मूल्य पर बेची जाती है तो इससे औसत विद्युत क्रय लागत कम होती है एवं इस लाभ को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह गणना किये जा रहे एफ.पी.पी.ए.एस. (फ्यूल एवं पॉवर पर्चेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) के माध्यम से दिया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

N